



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274622
CG-DL-E-20072026-274622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3714]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 3714]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3876(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड 7—ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में समक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	समक्ष प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	उप मंडल अधिकारी, लुधियाना (पश्चिम)	पंजाब	नॉर्थर्न रेलवे के डंडारी कलां (DDL) की हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए रीमोडलिंग और शंटिंग नेक की व्यवस्था।

[फा. सं: 190-W/Land/CDG-II/DDL]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण—।

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railways(Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, 13th July, 2026

S.O. 3876(E).— In exercise of the power conferred by clause 7-A of section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

Sl.No.	Competent Authority	State	Name of Railway Project
1	2	3	4
1	Sub-Divisional Magistrate, Ludhiana (West)	Punjab	Dhandari Kalan-DDL- remodeling to increase handling capacity and provision of shunting neck of Northern Railway.

[F. No. 190-W/Land/CDG-II/DDL]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Construction-I

अधिसूचना**नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026**

का.आ. 3877(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20—एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेल परियोजना के कार्य निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	आर्बिट्रेटर	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	उपायुक्त, लुधियाना	पंजाब	नॉर्दर्न रेलवे के डंदारी कलां (DDL) की हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए रीमोडलिंग और शंटिंग नेक की व्यवस्था।

[फा. सं: 190-W/Land/CDG-II/DDL]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-।

NOTIFICATION

New Delhi, 13th July, 2026

S.O. 3877(E).— In exercise of the power conferred by Section 20-F (6) of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Arbitrator	State	Name of Railway Project
1	2	3	4
1	Deputy Commissioner, Ludhiana	Punjab	Dhandari Kalan-DDL-remodeling to increase handling capacity and provision of shunting neck of Northern Railway.

[F. No. 190-W/Land/CDG-II/DDL]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Construction-I